

Guazal Mile  
Aso C ASTII

16-3/2011-एएस-III/खंड-II

भारत सरकार  
संचार मंत्रालय  
दूरसंचार विभाग  
अभिगम सेवा स्कंध  
20, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं.16-3/2011/एएस-III/ खंड II/322/268/268

दिनांक: 20/10/2022

सेवा में

सभी अभिगम सेवा प्रदाता

विषय:- सामाजिक कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार को लघु कोड '155326' का आवंटन करने के संबंध में।

दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, उभयलिंगी व्यक्तियों और नशामुक्ति अभियान के सामाजिक कल्याण के लिए समाज कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार को हेल्पलाइन के रूप में लघु कोड '155326' आवंटित किया गया है, जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं:

- (i) श्रेणी - I: सेवा (अर्थात् सभी अभिगम प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली अनिवार्य सेवा)।
  - (ii) अभिगम्यता: राज्य में प्रतिबंधित।
  - (iii) मीटर्ड सर्विस: कॉल करने वाला भुगतान करता है।
2. सभी से अनुरोध है कि आवश्यक कार्रवाई करें।
  3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

संचित कुमार गर्ग  
(संचित कुमार गर्ग)  
एडीजी (एएस-III)

सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई करने हेतु, यदि कोई हो तो, प्रति प्रेषित:

1. सचिव, ट्राई।
2. मुख्य प्रबंध निदेशक, एमटीएनएल/बीएसएनएल
3. श्री भुवनेश यादव, सचिव, समाज कल्याण विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, पिन - 492101 को उनके दिनांक 10.10.2022 के पत्र संख्या एफ 7-46/2017/26 के संदर्भ हेल्पलाइन को लागू करने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के अनुरोध के साथ। नोडल अधिकारी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के एलएसए इकाई के वरिष्ठ उप- महानिदेशक (एलएसए) से संपर्क कर सकते हैं।
4. निदेशक (एनटी), डीजीटी (मुख्यालय), (संबंधित एलएसए क्षेत्र इकाई को हेल्पलाइन के कार्यान्वयन के लिए जब कभी भी संपर्क किया जाए संबंधित नोडल अधिकारियों और टीएसपी के साथ समन्वय करने के लिए कहा जाए)।
5. एक प्रति दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।